



# कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय-आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक: प.19(1)शिक्षा-2/2019 दिनांक-19.12.2022 की अनुपालना में भाषा विभाग, सीकर में पुस्तकालयाध्यक्ष-प्रथम श्रेणी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित निम्नांकित कार्मिक की राजस्थान सेवा नियम-1951 के नियम-144 "क" के तहत प्रतिनियुक्ति अवधि में निम्नानुसार अभिवृद्धि किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	नाम कार्मिक	प्रतिनियुक्ति पद	प्रतिनियुक्ति अवधि में प्रस्तावित अभिवृद्धि	प्रतिनियुक्ति अवधि
1	श्रीमती सुमन, व्याख्याता, राजनीति विज्ञान	पुस्तकालयाध्यक्ष-प्रथम श्रेणी	13.01.2023 से 12.01.2024	चतुर्थ वर्ष




  
(गौरव अग्रवाल)  
आई.ए.एस  
निदेशक  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर  
दिनांक- 27.01.2023

क्रमांक:-शिविरा-मा/संस्था/सी-8/प्रतिनियुक्ति (अन्य)/2022

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री (प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान जयपुर।
- 2- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान जयपुर।
- 3- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 4- संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर को अनुमोदनार्थ।
- 5- संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, संभाग कार्यालय हाजा।
- 6- संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा।
- 7- संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
- 8- संबंधित अनुभाग अधिकारी कार्यालय हाजा।
- 9- संबंधित संस्था प्रधान/नियंत्रण अधिकारी।
- 10-सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा।
- 11-रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर